न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 42/2023(पुरानी–19/2023)
प्रविष्टि दिनांकः– 18.10.2023(पुरानी–20.02.2023)
निर्णय दिनांक :– 27.03.2024

::–उनवान–::

1. रणजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति राजपूत नि0 दाबड़दुम्बा तहसील टोडरायसिंह जिला केकड़ी
–अपीलान्ट

बनाम

1. **नायब तहसीलदार टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान**

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 30.01.2023 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :
(1) श्री नोरतमल सांखला, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) नायब तहसीलदार, टोडारायसिंह रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–::

दिनांक 27.03.2024

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि **अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह** ने अपने **आदेश दिनांक 30.01.2023** के द्वारा अपीलान्ट को भूमि **खसरा नम्बर 42/2117, 49 रकबा 0.10, 1.10 कुल 1.20 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबड़दुम्बा तहसील टोडरायसिंह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा** से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट्स द्वारा अपील प्रार्थना पत्र **न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक** के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली **स्थानान्तरित होकर** प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान मे कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। अपीलांट ने कब्जा

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

छोडने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टेंकिग अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से जाहिर आया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की **राजकीय भूमि खसरा नम्बर 42/2117, 49 रकबा 0.10, 1.10 कुल 1.20 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबड़दुम्बा** तहसील टोडरायसिंह पर बाड़बंदी लगाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. फलतः **अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार टोडारायसिंह यह सुनिश्चित करेंगे कि निवर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो, पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है ।**

7. **भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।**

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलेक्टर,
केकड़ी

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी